एनपीएस कॉरपोरेट मॉडल के संबंध में प्रायः पूछे जाने वाले प्रश्न

1. एनपीएस कोरपोरेट मॉडल क्या है?

सरकारी कर्मचारियों के परिभाषित अंशदान पेंशन योजना के रूप में एनपीएस की शुरूआत वर्ष 2004 में की गई। पीएफआरडीए ने सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों सहित कॉरपोरेट संस्थाओं के कर्मचारियों तक एनपीएस को पहुंचाने के लिए अलग से मॉडल की शुरूआत की है जिसे **एनपीएस कॉरपोरेट सेक्टर मॉडल** कहा जाता है।

2. एनपीएस कॉरपोरेट मॉडल की शुरूआत कब हुई ?

एनपीएस कॉरपोरेट मॉडल की शुरूआत दिसम्बर वर्ष 2011 में हुई।

3. एनपीएस की विशिष्ट विशेषताएं क्या हैं?

विवेकपूर्ण नियमनः एनपीएस पर विनियमन का कार्य पीएफआरडीए द्वारा किया जाता है। पारदर्शी निवेश मानकों, नियमित निगरानी और निधि प्रबंधकों के कार्य की समीक्षा और नियमित निगरानी का कार्य एनपीएस न्यास द्वारा किया जाता है।

सहजता एनपीएस खाते को भौगोलिक एवं रोजगार में परिवर्तन होने पर भी आसानी से संचालित किया जा सकता है।

लचीलापनः प्वाइंट ऑफ प्रेजेन्स, पेंशन निधि प्रबंधकों, निवेश विकल्पों वार्षिकियों के प्रकार तथा वार्षिकी सेवा प्रदाता के चयन में लचीलापन।

कम मूल्यः एनपीएस को विश्व की सबसे कम मूल्य वाली पेंशन योजनाओं में से एक माना जाता है।

सामान्य एवं वेब/ऑनलाइन सक्षमता : सीआरए प्रणाली के द्वारा सभी प्रकार के संव्यवहार की निगरानी ऑनलाइन की जा सकती है। कर्मचारी सीआरए की वेबसाइट का प्रयोग कर निधि, निवल आस्ति मूल्य (NAV) तथा अंशदान के स्तर की जांच कर सकते हैं।

4. कौन–कौन सी संस्थाएं/संगठन एनपीए में शामिल हो सकते हैं?

1. कंपनी अधिनियम के तहत पंजीकृत संस्थाएं
2. विभिन्न सहकारिता अधिनियमों के तहत पंजीकृत संस्थाएँ
3. केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम
4. राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम
5. पंजीकृत सहभागिता संस्था
6. पंजीकृत लिमिटेड देनदारी सहभागिता (एलएलपी)
7. संसद अथवा राज्य विधायिका या सरकार के आदेश के द्वारा निगमित संस्था
8. स्वामित्व प्रतिष्ठान
9. न्यास/सोसाइटी

5. एनपीएस की संरचना के अन्तर्गत कौन–कौन सी मध्यवर्ती संस्थाएं आती हैं?

एनपीएस के अंतर्गत आने वाली मध्यवर्ती संस्थाएं निम्न हैं:

एनपीएस न्यास : एनपीएस के अंतर्गत अभिदाताओं के हितों की रक्षा के लिए निधि एवं आस्ति की देख–देख के कार्य के लिए एनपीएस न्यास का गठन किया गया है। न्यास निवेश संबंधी दिशा निर्देश जारी करती है साथ ही पेंशन निधियों के कामकाज की नियमित निगरानी और समीक्षा का कार्य एनपीएस न्यास द्वारा किया जाता है।

केन्द्रीय रिकॉर्ड कींपिंग संस्था (सीआरए): केन्द्रीय रिकॉर्ड कींपिग संस्था रिकॉर्ड संभाल कर रखना, प्रशासनिक कार्य , प्रान जारी करना तथा ग्राहक सेवा कार्यक्रम जैसे कई प्रकार के कार्य एनपीएस अभिदाताओं के लिए करती है। एनएसडीएल इंफ्रास्ट्रक्चर लि. एनपीएस के लिए रिकॉर्ड कीपिंग संस्था के रूप में कार्य करती है।

पेंशन निधि (पीएफएम) : एनपीएस के अंतर्गत सेवानिवृत्ति बचत को प्रबंधित करने के लिए पीफआरडीए ने 8 पेंशन निधि को नियुक्त किया है।

न्यासी बैंक : न्यासी बैंक एनपीएस की विभिन्न संस्थाओं जैसे पीएफएम, एएसपी, अभिदाताओं के मध्य बैंक से जुड़े क्रियाकलापों को पूरा करने का कार्य करता है। एनपीएस के अंतर्गत ऐक्सिस बैंक को ट्रस्टी बैंक नियुक्त किया गया है।

वार्षिकी सेवा प्रदाता (एएसपीएस) – एनपीएस से निकासी के बाद अभिदाताओं को नियमित रूप से मासिक पेंशन उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी वार्षिकी सेवा प्रदाता की होती है।

प्वाइंट ऑफ प्रेजेन्स (पीओपी) : प्वाइंट ऑफ प्रेजेन्स पीओपी एनपीएस संरचना और अभिदाता एवं कॉरपोरेट के बीच मध्यस्थ की भूमिका अदा करता है। पीओपी की अधिकृत शाखाओं को प्वाइंट ऑफ प्रेजेन्स सर्विस सेवा प्रदाता कहा जाता है। यह एनपीएस अभिदाता के लिए सेवाओं का विस्तार करने और संकलन केन्द्र के रूप में कार्य करता है।

अभिरक्षक : भौतिक रूप में प्रतिभूतियों को अभिरक्षक सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए स्टॉक होल्डिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लि. (SHCIL) को अभिरक्षक नियुक्त किया गया है।

6. इस मॉडल के अंतर्गत अभिदाताओं को कौन–कौन से लाभ मिलते हैं?

कर्मचारी अपने द्वारा किये गये 10 प्रतिशत वेतन (मूल+वेतन भत्ता) तक के योगदान पर कर छूट का दावा कर सकते हैं। 1 अप्रैल 2012 से नियोजक कर्मचारी के खाते में किए 10 प्रतिशत वेतन (मूल एवं महंगाई भत्ता) तक के योगदान को अपने 'व्यवसाय खर्च' के रूप में कटौती कर सकते हैं।

- नियोजक न्यास के निर्माण, निधि के प्रबंधन और रिकॉर्ड कीपिंग आदि खर्चों को बचा सकता है।
- नियोजक अपने कर्मचारियों तक एनपीएस के लाभ पहुंचाने हेतु सेवा प्रदाता के रूप में कार्य कर सकता है।
- नियोजक अपने कर्मचारियों के लिए पेंशन निधि का चयन स्वयं कर सकता है अथवा इसका निर्णय वह अपने कर्मचारियों पर छोड़ सकता है।
- कर्मचारियों के पेंशन में सह–अंशदान के लिए मंच।

7. इस मॉडल के अंतर्गत कर्मचारियों को क्या–क्या लाभ मिलेंगे?

- किफायती निवेश उत्पाद के साथ दीर्घकालिक बाजार से जुड़े लाभांश के जरिए बेहतर वृद्धि के विकल्प।
- लचीले निवेश तरीकों के साथ विभिन्न निधियों को चुनने का विकल्प।
- व्यक्तिगत सेवानिवृत्ति खाता जिसमें भौतिक स्थिति एवं रोजगार में परिवर्तन होने पर भी संचालन में आसानी की सुनिश्चितता।
- एनपीएस में कर्मचारी एवं नियोजकों द्वारा किया गया योगदान आयकर अधिनियम 1961 जिसे समय–समय पर संशोधित किया गया है, कर छूट के योग्य हैं।
- स्वैच्छिक खाते के रूप में टीयर ।। खाता की अतिरिक्त सुविधा जिसमें किसी भी समय तरलता एवं निकासी का विकल्प है।
- पेंशन निधि को चुनने का अधिकार जिसमें वार्षिक आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।
- सीआरए वेबसाइट, कॉल सेंटर, ई–मेल और डाक पत्रों द्वारा प्रभावी शिकायत निवारण प्रबंधन ।
- नियमित एवं त्रैमासिक आधार पर पेंशन निधि में प्रतिलाभ का खुलासा, अभिदाता के लिए निधि प्रबंधन में बेहद सहायक सिद्ध होता है।
- जिन्हें निवेश संबंधी आवश्यक जानकारी नहीं है उनके लिए **ऑटो विकल्प** की सुविधा।
- सेवा निवृत्ति के बाद भी निवेश का विकल्प। (आस्थगित निकासी का विकल्प उपलब्ध)
- वार्षिकी को तीन वर्ष की अधिकतम अवधि तक आस्थगित किया जा सकता है।

8. इस मॉडल के अंतर्गत कौन–कौन से खाते उपलब्ध हैं ?

इस मॉडल के अंतर्गत कर्मचारियों के लिए दो प्रकार के खातों की सुविधा उपलब्ध है।

क. **टीयर । खाता** – यह एक गैर–निकासी खाता है जहां नियोजक और कर्मचारी उनके सेवानिवृत्ति के लिए अंशदान कर सकते हैं। नियोजक एवं कर्मचारी दोनों ही आयकर अधिनियम के तहत कर छूट का लाभ प्राप्त कर सकते हैं।

ख. **टीयर ।। खाता** :– यह स्वैच्छिक बचत खाता है जिसमें अभिदाता न्यूनतम अंशदान और बकाया की शर्तों के साथ जब चाहे अपनी जमा राशि को इसमें से निकाल सकते हैं।

9. टीयर । और टीयर ।। खातों के लिए न्यूनतम अंशदान राशि क्या है?

न्यूनतम अंशदान (टीयर । के लिए)

- अंशदान के लिए न्यूनतम राशि – 500 रूपये।
- न्यूनतम अंशदान प्रतिवर्ष – 6,000 रूपये।
- प्रति वर्ष न्यूनतम अंशदान संख्या – 1

न्यूनतम अंशदान (टीयर ।। के लिए)

- प्रतिअंशदान के लिए न्यूनतम राशि 250 रूपये।
- प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में न्यूनतम बकाया राशि – 2,000 रूपये।
- प्रतिवर्ष न्यूनतम अंशदान संख्या – 1 ।

(टिप्पणी : डिफॉल्ट की स्थिति में परिवर्तन किये जा सकते हैं)

10. एनपीएस के अंतर्गत नियोजक और कर्मचारी द्वारा कितने प्रकार के संभावित विभिन्न प्रकार के अंशदान किये जा सकते हैं?

- नियोजक एवं कर्मचारी द्वारा समान अंशदान।

- नियोजक एवं कर्मचारी द्वारा असमान अंशदान।
- नियोजक अथवा कर्मचारी द्वारा अंशदान।

11. अंशदान बाधित हो जाने अथवा न्यूनतम अंशदान पूरा न होने की स्थिति में, निवेश पर क्या प्रभाव पड़ता है?

यदि निवेश रूक जाता है और अभिदाता 60 वर्ष की आयु पूर्ण होने से पूर्व एनपीएस से बाहर निकलना चाहता है, तो वह तब तक की संचित राशि में से 20 प्रतिशत तक की राशि को निकाल सकता है। अभिदाता को शेष राशि का प्रयोग पीएफआरडीए द्वारा सूचीबद्ध किये गये वार्षिकी सेवा प्रदाताओं से वार्षिकी खरीदने के लिए करना होगा।

यदि न्यूनतम बकाया राशि अपेक्षित राशि से मेल नहीं खाती तो खाते को निष्क्रिय कर दिया जाएगा और डिफॉल्ट जुर्माने के साथ बकाया अंशदान का भुगतान करने पर ही खाते का पुनः सक्रिय किया जा सकता है।

12. क्या सभी नियोजकों के लिए टीयर ।। खाता खोलना आवश्यक है?

नहीं। ऐसा आवश्यक नहीं है। यह वैकल्पिक है।

13. एनपीएस कॉरपोरेट के अंतर्गत कॉरपोरेट और उसके अधीनस्थ अभिदाता पंजीकरण करवाने के लिए किससे सम्पर्क कर सकते है?

इसके लिए एनपीएस संरचना के अंतर्गत प्वांइट ऑफ प्रेजेन्स पीओपी की किसी भी अधिकृत शाखा से सम्पर्क किया जा सकता है। पीओपी की सूची पीएफआरडीए की वेबसाइट www.pfrda.org.in और सीआरए (एनएसडीएल) की वेबसाइट www.npscra.nsdl.co.in पर उपलब्ध है।

14. नियोजक और कर्मचारियों को कौन–कौन से लाभ प्राप्त होते हैं?

नियोजक को मिलने वाले लाभ

आयकर अधिनियम 1961 की धारा 36 (1) चतुर्थ (क) के अंतर्गत नियोजक कर्मचारी के खाते में किये गये 10 प्रतिशत वेतन (मूल वेतन + महंगाई भत्ता) तक के अंशदान को अपने 'व्यवसाय खर्च' के रूप में मान्यता दी गई है।

कर्मचारी को मिलने वाले लाभ

अधिनियम की धारा 80 सीसीडी (1) के अनुसार कर्मचारी अपने द्वारा किये गये 10 प्रतिशत वेतन (मूल+मंहगाई भत्ता) तक के योगदान पर कर छूट का दावा कर सकते हैं जो 1 लाख रूपये की उपरी सीमा के अंतर्गत आता है।

नियोजक द्वारा कर्मचारी के खाते में किया गया 10 प्रतिशत वेतन (मूल+मंहगाई भत्ता) का किया गया अंशदान जो कि 1 लाख की सीमा के अतिरिक्त है अधिनियम की धारा 80 सीसीडी (2) के तहत कर छूट का लाभ प्राप्त कर सकते हैं।

15. पीओपी और पीओपी–एसपी क्या हैं? और इनकी क्या भूमिका है?

पीओपी का पूरा नाम प्वाइंट ऑफ प्रेजेन्स है। यह कॉरपोरेट/अभिदाता और एनपीएस ढांचे के मध्य मध्यस्थ की भूमिका अदा करता है। एनपीएस के विस्तार के लिए पीओपी द्वारा नियुक्त अधिकृत शाखाओं को पीओपी–सेवा प्रदाता कहा जाता है। पीओपी/पीओपी–एसपी का कार्य अभिदाताओं का पंजीकरण करना, अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) दस्तावेज एकत्रित करना, अंशदान प्राप्त करना है। साथ ही कॉरपोरेट से निर्देश प्राप्त कर उन्हें अधिकृत एनपीएस मध्यवर्ती संस्थाओं तक पहुंचाने का कार्य भी पीओपी/पीओपी–एसपी द्वारा किया जाता है।

16. आंकड़ों और अंशदान को अपलोड करने की ज़िम्मेदारी किसकी है?

कॉरपोरेट के पंजीकरण, कर्मचारियों के पंजीकरण तथा आंकड़ों और अंशदान को अपलोड करने का कार्य कॉरपोरेट द्वारा चुनी गई पीओपी/एसपी द्वारा किया जाता है।

17. क्या कॉरपोरेट किसी भी समय पीओपी को बदल सकते हैं?

हाँ, कॉरपोरेट पीओपी को बदल सकता है।

18. एनपीएस के अंतर्गत सुरक्षित कर्मचारी की सेवाकाल के दौरान मृत्यु हो जाने पर उसके परिवार को क्या लाभ मिलेगा?

इस प्रकार की दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटित होने पर अभिदाता द्वारा नियुक्त उत्तराधिकारी को 100 प्रतिशत एनपीएस पेंशन निधि का एकमुश्त भुगतान कर दिया जाएगा।

19. नियोजक अथवा कर्मचारी मे से निवेश के विकल्पों को कौन चुनता है?

कॉरपोरेट स्तर और अभिदाता स्तर पर योजना को चुनने की प्रक्रिया मे काफी लचीलापन है। नियोजक स्वयं निवेश के विकल्प चुन सकता है अथवा इसका निर्णय कर्मचारियों पर छोड़ सकता है।

20. पीएफएम क्या है?

एनपीएस के अंतर्गत अभिदाता के सेवानिवृत्ति बचत को प्रबंधित करने का कार्य पीएफआरडीए द्वारा नियुक्त पेंशन निधि (PFM) द्वारा किया जाता है। पीएफएम द्वारा निवेश प्रक्रिया में पीएफआरडीए द्वारा जारी दिशा–निर्देशों का सख्ती से पालन किया जाना अनिवार्य है।

पीएफएम की सूची (10 जून 2014 को जारी)

- एल.आई.सी. पेंशन फंड लिमिटेड

- एस.बी.आई. पेंशन फंड प्राइवेट लिमिटेड
- यू.टी.आई. रिटार्यमेन्ट सोल्यूशन लिमिटेड
- रिलायंस केपिटल पेंशन फंड लिमिटेड
- आई.सी.आई.सी.आई. प्रुडेंशियल पेंशन फंड मैनेजमेन्ट कम्पनी लि0
- कोटक महिंन्द्रा पेंशन फंड लिमिटेड
- एच.डी.एफ.सी. पेंशन फंड लिमिटेड

21. एनपीएस नियोजकों के पास निवेश के क्या विकल्प मौजूद हैं?

सक्रिय विकल्प – यहां व्यक्तिगत निधियां जैसे आस्ति वर्ग ई, आस्ति वर्ग सी और आस्ति वर्ग सी। सक्रिय विकल्प के अंतर्गत अभिदाता को पेंशन निधि प्रबंध के चयन के साथ–साथ ई , सी और जी आस्ति वर्गों में निवेश के अनुपात को भी निश्चित करना पड़ता है। अभिदाता इन आस्ति वर्गों में निर्वेश की जाने वाली अपनी राशि का प्रतिशत भी निर्धारित कर सकता है। हालांकि इन आस्ति वर्गों में इक्विटी का आबंटन 50 प्रतिशत से अधिक नहीं किया जा सकता।

ऑटो विकल्प – यहां जीवनचक्र–निधि की सुविधा उपलब्ध है। अभिदाता को अपने लिए एक पेंशन निधि को चुनना पड़ता है और अभिदाता की आयु के

अनुसार उसकी निधि को जीवनचक्र निधि सांचे में निवेशित कर दिया जाता है।

टीयर। और टीयर।। दोनों प्रकार के खातों के लिए अभिदाताओं के पास आठ पेंशन निधि प्रबंधकों में से किसी एक को चुनने और निवेश का प्रतिशत निर्धारित करने की सुविधा उपलब्ध होती है।

22. पीएफएम को कौन चुनता है? यदि नियोजक ने किसी पीएफएम को चुन लिया है तो क्या कर्मचारी किसी अन्य पीएफएम को चुन सकते हैं?

नियोजक अपने कर्मचारियों के लिए पीएफएम और निवेश योजनाओं को स्वयं चुन सकता है अथवा इसका निर्णय कर्मचारियों पर छोड़ सकता है।

नियोजक द्वारा एक बार पीएफएम को चुन लिये जाने के बाद यह निर्णय सभी कर्मचारियों पर समान रूप से लागू होगा।

23. एक बार पीएफएम चुन लिये जाने पर क्या उसे बदला जा सकता है?

हाँ, वित्तीय वर्ष में केवल एक बार पीएफएम को बदला जा सकता है।

24. ऑटो विकल्प (जीवनचक्र निधि) क्या है?

निवेश के इस विकल्प के अंतर्गत अभिदाता को एक पीएफएम चुनना आवश्यक है। पीएफएम का चयन हो जाने के बाद अभिदाता की राशि को जीवनचक्र निधि सांचे में अभिदाता की आयु के अनुसार निवेशित कर दिया जाता है। विभिन्न आयु वर्ग के अनुसार आस्ति वर्ग ई, सी, और जी में निधि का आबंटन निम्न प्रकार किया जाता है।

जीवन चक्रीय निधि के लिए सारणी≡

आयु	आस्ति वर्ग ई	आस्ति वर्ग सी	आस्ति वर्ग जी
35 वर्ष की आयु तक	50 %	30 %	20 %
36 वर्ष	48 %	29 %	23 %
37 वर्ष	46 %	28 %	26 %
38 वर्ष	44 %	27 %	29 %
39 वर्ष	42 %	26 %	32 %
40 वर्ष	40 %	25 %	35 %
41 वर्ष	38 %	24 %	38 %
42 वर्ष	36 %	23 %	41 %
43 वर्ष	34 %	22 %	44 %
44 वर्ष	32 %	21 %	47 %
45 वर्ष	30 %	20 %	50 %
46 वर्ष	28 %	19 %	53 %
47 वर्ष	26 %	18 %	56 %
48 वर्ष	24 %	17 %	59 %
49 वर्ष	22 %	16 %	62 %
50 वर्ष	20 %	15 %	65 %
51 वर्ष	18 %	14 %	68 %
52 वर्ष	16 %	13 %	71 %
53 वर्ष	14 %	12 %	74 %
54 वर्ष	12 %	11 %	77 %
55 वर्ष	10 %	10 %	80 %

25. टीयर। और टीयर ।। खातों में लाभांश की गणना कैसे की जाती है? क्या इसमें निश्चित लाभ/लाभांश/ अधिलाभ की व्यवस्था है?

अभिदाता द्वारा टीयर। और टीयर ।। खातों में जमा समग्र राशि को अभिदाता द्वारा पंजीकरण के समय चुने गये (और बाद में परिवर्तित) पेंशन निधियों के पास भेज दिया जाता है। पीएफएम इस निधि को एक या अधिक आस्ति वर्गों जैसे इक्विटी, कॉरपोरेट ऋण और सरकारी प्रपत्रों में अभिदाता द्वारा चयनित अनुपात में निवेश कर देता है और प्रत्येक कामकाजी दिन की समाप्ति पर उसके निवल सम्पत्ति मूल्य (NAV) की घोषणा करता है। इस प्रकार अभिदाता के खातों में एनएवी पर

आधारित इकाईयों का आकलन किया जाता है। इकाईयों को एनएवी से गुणा करने पर निवेश का वर्तमान मूल्य ज्ञात हो जाता है।

एनपीएस में लाभांश बाजार आधारित होता है। इसलिए इसमें निश्चित और परिभाषित लाभांश प्राप्त नहीं होता । संचित निवेश पर लाभांश उत्पन्न होता है और इसे लाभांश या अधिलाभांश में विभक्त नहीं किया जाता।

26. निवल आस्ति मूल्य (NAV) क्या है?

इसे एनएवी के नाम से भी जाना जाता है। यह निधि में एक ईकाई का मूल्य होता है। एनएवी की गणना प्रत्येक कामकाजी दिन की समाप्ति पर की जाती है। निधि के पोर्टफोलियों (आस्ति वर्गों) में मौजूद सभी प्रतिभूतियों और नकद को जोड़कर तथा निधि ऋणों को उसमें से घटाकर प्राप्त मूल्य को निधि द्वारा जारी ईकाइयों की संख्या से भाग देकर निवल आस्ति मूल्य प्राप्त किया जाता है। निधि के मूल्य में उतार–चढ़ाव के कारण निवल आस्ति मूल्य में भी उतार–चढ़ाव आता है।

एक ही योजना के लिए अलग–अलग पीएफएम का निवल आस्ति मूल्य भी अलग होगा। एक ही पीएफएम के अंतर्गत विभिन्न आस्ति वर्गों में अलग–अलग योजनाओं के निवल आस्ति मूल्य में भिन्नता होती है।

27. क्या कोई व्यक्ति 60 वर्ष से पहले एनपीएस से बाहर निकल सकता है?

हाँ, अभिदाता यदि चाहे तो वह 60 वर्ष की आयु से पूर्व एनपीएस से बाहर निकल सकता है लेकिन ऐसी स्थिति में उसे पेंशन निधि का 20 प्रतिशत एकमुश्त भाग ही प्राप्त हो सकेगा। अभिदाता को पेंशन निधि के 80 प्रतिशत भाग का इस्तेमाल

पीएफआरडीए द्वारा सूचीबद्ध नियमित जीवन बीमा कम्पनी आईआरडीए से वार्षिकी खरीदने लिए करना अनिवार्य है।

28. कर्मचारी कब अपनी नौकरी छोड़ सकता है? ऐसा करने के बाद प्रान खाते का क्या होगा?

कर्मचारी अपनी निधि को नये नियोजक के पास उसी प्रान खाता संख्या के साथ स्थानांतरित कर सकता है यदि नये नियोजक ने भी एनपीएस में पंजीकरण करवाया हुआ है। यदि ऐसा नहीं है तो कर्मचारी 'सर्व नागरिक मॉडल' के तहत उसी खाता संख्या को चालू रख सकता है।

29. किसी कर्मचारी द्वारा पांच वर्ष के भीतर संगठन छोड़ने पर क्या नियोजक द्वारा अंशदान की गई राशि को जब्त कर लिया जाएगा?

नहीं। एनपीएस के अंतर्गत ऐसा कोई प्रावधान नहीं है।

30. एनपीएस के अंतर्गत क्या कर्मचारियों को ऋण/अग्रिम राशि की सुविधा प्राप्त है? क्या एनपीएस खाते नाम पर दावा किया जा सकता है?

नहीं। वर्तमान में एनपीएस के अंतर्गत ऐसा कोई प्रावधान नहीं है।

31. **भविष्य निधि के अंतर्गत कर्मचारी को घर बनाने तथा बच्चों की शादी आदि उद्देश्यों के लिए राशि निकासी की सुविधा होती है, क्या एनपीएस के अंतर्गत इस प्रकार की कोई सुविधा उपलब्ध है?**

नहीं। वर्तमान में एनपीएस के अंतर्गत ऐसा कोई प्रावधान नहीं है।

32. 60 वर्ष पूरे हो जाने पर कर्मचारी को पेंशन किस प्रकार प्राप्त होगी?

कर्मचारी को संचित बचत (पेंशन राशि) में से 40 प्रतिशत राशि का इस्तेमाल वार्षिकी सेवा प्रदाता से जीवन वार्षिकी खरीदने के लिए करना होगा। कर्मचारी को पीएफआरडीए द्वारा सूचीबद्ध एएसपी में किसी एक चुनना होगा साथ ही एएसपी के साथ उपलब्ध वार्षिकी विकल्पों में से किसी एक का चयन करना होगा। शेष बकाया पेंशन राशि को 60 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर एक मुश्त निकासी द्वारा प्राप्त किया जा सकता है अथवा इसे बाद में 60 से 70 वर्ष की आयु के बीच कभी भी निकाला जा सकता है। कर्मचारी वार्षिकी में भी अधिकतम तीन वर्ष तक का विलम्ब कर सकता है।

33. **वार्षिकी क्या है? एनपीएस अभिदाताओं के लिए मासिक पेंशन उपलब्ध कराने के लिए कौन–कौन सी वार्षिकियां मौजूद हैं?**

वार्षिकी एक वित्तीय प्रणाली है जो पेंशन राशि और खरीद मूल्य पर अभिदाता द्वारा चुने गये मासिक त्रैमासिक और वार्षिक आधार पर पेंशन के निश्चित भुगतान की सुविधा उपलब्ध कराती है। सामान्य शब्दों में यह एक ऐसी वित्तीय प्रणाली है जो कि निश्चित दरों पर अभिदाता द्वारा चुने गई समयावधि मासिक, त्रैमासिक तथा वार्षिक आधार पर पेंशन उपलब्ध कराती है। वर्तमान में भारतीय बाजारों में केवल अधिकृत जीवन बीमा कंपनियां ही वार्षिकी उपलब्ध कराती हैं। वार्षिकी सेवा प्रदाता कुछ शर्तों जैसे अपेक्षित न्यूनतम राशि, प्रवेश की आयु आदि के साथ एनपीएस के अभिदाताओं को निम्नलिखित वार्षिकियां उपलब्ध कराते हैं:–

1.नियमित दर पर आजीवन देय वार्षिकी / पेंशन।

2. 5, 10, 15, और 20 वर्षो तथा उसके बाद वार्षिकीकर्ता की मृत्यु तक देय वार्षिकी।

3. आजीवन और वार्षिकीकर्ता की मृत्यु पर खरीद मूल्य पर लाभांश देय वार्षिकी ।

4. प्रत्येक वर्ष 3 प्रतिशत की सामान्य दर की वृद्धि के साथ जीवन भर के लिए वार्षिकी।

5. आजीवन वार्षिकी एवं वार्षिकीकर्ता की मृत्यु होने पर उसके नामिति पति/पत्नी को जीवन भर 50 प्रतिशत वार्षिकी का भुगतान।

6. आजीवन वार्षिकी एवं वार्षिकीकर्ता की मृत्यु होने पर उसके नामिति पति/पत्नी को जीवन भर 100 प्रतिशत वार्षिकी का भुगतान। आखिरी नामिति की मृत्यु होने पर खरीद मूल्य दिया जाता है।

34. पीएफआरडीए द्वारा कौन–कौन से वार्षिक सेवा प्रदाताओं को सूचीबद्ध किया गया है?

पीएफआरडीए द्वारा वार्षिकी सेवा उपलब्ध कराने वाली बीमा कंपनियों में से निम्न को वार्षिकी सेवा प्रदाता के रूप में सूचीबद्ध किया गया हैः–

- LIC, Bajaj Allianz Life Insurance co. Ltd.
- HDFC Standard Life Insurance Co. Ltd
- ICICI Prudential Life Insurance Co. Ltd.
- Life Insurance Corporation of India
- Reliance Life Insurance co. Ltd.,
- SBI Life Insurance Co. Ltd
- Star Union Daichi Life Insurance co. Ltd.,

35. नियोजक अथवा कर्मचारी में से कौन एएसपी को चुन सकता है?

वार्षिकी सेवा प्रदाता और वार्षिकी चुनने का अधिकार कर्मचारियों के पास है।

36. सामान्य सेवानिवृत्ति पर कितने समय बाद पेंशन शुरू होने में कितना समय लगता है?

अभिदाता द्वारा वार्षिकी सेवा प्रदाता चुनने, वार्षिकी का चयन करने और संबंधित सभी आवश्यक दस्तावेज जमा कराने के अगले महीने से पेंशन राशि का भुगतान शुरू हो जाता है।

37. क्या एनपीएस–कॉरपोरेट मॉडल में नामिति नियुक्त करने की सुविधा उपलब्ध है?

हाँ, कर्मचारियों द्वारा अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया जा सकता है।

38 नामिति किसे बनाया जा सकता है, कितने नामिति बनाये जा सकते है और प्रपत्र में किस प्रकार की जानकारी दी जानी आवश्यक है?

केवल एक व्यक्ति को ही नामिति बनाया जा सकता है। अभिदाता तीन नामिति को पंजीकृत कर सकता है। अभिदाता द्वारा एक उत्तराधिकारी की जानकारी को एक से अधिक बार प्रयोग में नहीं लाया जा सकता। अंश प्रतिशत मूल्य सभी नामितियों के मध्य समान होना चाहिए। दशमलव/भिन्नात्मक मूल्य नामिति के संबंध में स्वीकार नहीं किये जा सकते। सभी नामितियों के प्रतिशत का कुल जोड़ 100 प्रतिशत होना चाहिए। यदि प्रतिशत का योग 100 के समान नहीं होगा तो सभी नामिति समाप्त कर दिये जाएंगे। यदि नामिति अल्प–वयस्क है तो उसके जन्म की तिथि और संरक्षकों की जानकारी देना आवश्यक है। प्रपत्र में जब तक सभी जानकारियां पूरी तरह से नहीं भर दी जाती नामिति का पंजीकरण पूरा नहीं माना जाएगा।

39. क्या किसी अल्प–वयस्क को नामिति बनाया जा सकता है?

हाँ, किसी अल्प–वयस्क को नामिति बनाया जा सकता है। ऐसी स्थिति में अल्प–वयस्क की जन्म तिथि तथा अभिरक्षक की जानकारी उपलब्ध कराना अभिदाता के लिए आवश्यक है।

40. अभिदाता को कौन–कौन से कर देने पड़ते है?

एनपीएस–कॉरपोरेट के अंतर्गत नियोजक और कर्मचारियों द्वारा निम्न प्रभार दिये जाते हैं।

शुल्क

मध्यवर्ती संस्थाएं	शुल्क वर्ग	सेवा शुल्क	कटौती का तरीका
पीओपी	प्रारंभिक अभिदाता पंजीकरण एवं अंशदान	100 रूपये एवं अंशदान राशि का 0.25 प्रतिशत जो कि न्यूनतम 20 रूपये और अधिकतम 25000/– तक हो सकता है।	खाता खोलते वक्त पीओपी द्वारा अभिदाता से अलग से लिया जाएगा।
	आगामी संव्यवहार सभी गैर–वित्तीय संव्यवहार	योगदान का 0.25 प्रतिशत जो न्यूनतम रूपये 20 एवं अधिकतम रूपये 25000/–. अंशदान के अलावा कोई अन्य संव्यवहार – 20/–रूपये	

मध्यवर्ती संस्थाए	शुल्क वर्ग	सेवा शुल्क	कटौती तरीका
सी.आर.ए.	पी.आर.ए. (परमानेंट रिटायरमेंट खाता) खोलने का शुल्क	50 रूपये	ईकाईयों के निरस्तीकरण से
	पी.आर.ए. वार्षिक रख–रखाव शुल्क	190 रूपये	
	प्रति संव्यवहार शुल्क (वित्तीय/गैर–वित्तीय)	4 रूपये	
न्यासी बैंक		शून्य	
अभिरक्षक (आस्ति मूल्य पर जो कब्ज़े में है)	आस्ति सेवा शुल्क	0.0075 प्रतिवर्ष इलैक्ट्रोनिक सैगमैंट के लिए	एन.ए.वी. कटौती द्वारा
पीएफएम शुल्क	निवेश प्रबंधन शुल्क	जैसा कि पी.एफ.एम द्वारा लगाया जाता है (अधिकतम 0.25 प्रतिशत)	एन.ए.वी. कटौती द्वारा

***सेवा कर और अन्य शुल्क मौजूदा कर कानून के तहत लागू होंगें।**

41. नियोजकों /कॉरपोरेट को पंजीकृत करने की क्या प्रक्रिया है?

कॉरपोरेट पंजीकरण प्रक्रिया

इच्छुक कॉरपोरेट को अपने कर्मचारियों तक एनपीएस को पहुंचाने के लिए पहले पीओपी से जुड़ने की जरूरत होती है। कॉरपोरेट को सीएचओ–1 प्रपत्र भरकर पीओपी के पास जमा करना होगा। कॉरपोरेट के स्तर की सावधानी पूर्वक समुचित जांच के बाद पीओपी विधिवत प्रमाणित प्रपत्र सीआर (एनएसडीएल) के पास भेज देता है।

सीआरए कॉरपोरेट को सीआरए प्रणाली में पंजीकृत कर लेगा साथ ही उसे अधिकृत पंजीकरण संख्या भी आबंटित करेगा जो प्रत्येक अभिदाता पंजीकरण प्रपत्र (सी एस – एस 1) में प्रदर्शित होगी।

कर्मचारी पंजीकरण प्रक्रिया

कर्मचारियों को अभिदाता पंजीकरण और प्रान संख्या पाने के लिए निम्न दस्तावेज अपनी निकटम पीओपी शाखा पर जमा कराने होंगेः–

- विधिवत भरा हुआ और एच आर द्वारा सत्यापित सीएस–एस1 प्रपत्र
- पीएफआरडीए द्वारा निर्धारित केवाईसी
- 500 रूपये का पहला अंशदान (चेक/मांग पत्र/ बैंकर चेक के रूप में)

42. नियोजक और कर्मचारियों को पंजीकरण के लिए किन प्रपत्रों की आवश्यकता होती है?

नियोजकों और कर्मचारियों के पंजीकरण के लिए अलग से प्रपत्र भरा जाता है। कॉरपोरेट के पंजीकरण के लिए सीएसओ–1 तथा कर्मचारियों के पंजीकरण के लिए सीएस–एस1 प्रपत्र भरा जाता है।

43. क्या नियोजकों और कर्मचारियों को केवाईसी जानकारी उपलब्ध कराना आवश्यक है?

नियोजकों और कर्मचारियों दोनों को ही केवाईसी जानकारी उपलब्ध कराना अनिवार्य है।